सत्यमेव जयते

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

मासिक समाचार पत्र

अंक - 46 मार्च, 2015

सचिव की कलम से

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की संभावनाएं सुदृढ़ हो रही है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड (आईएमएफ) और आर्गनाइजेशन फॉर इक्नोमिक को-आपरेशन एंड डेवल्पमेंट (ओईसीडी) सहित विभिन्न अनुमानों से पता चलता है कि भारत वर्ष 2015-16 में सबसे अधिक विकास करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ओईसीडी द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित ''कंपोजिट लीडिंग इंडिकेटर्स'' जिसमें आर्थिक कार्यकलापों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों का पूर्वानुमान लगाया जाता है, में भारत के लिए वृद्धि दर जो सितंबर, 2014 में 99 थीं को जनवरी, 2015 में 99.5 दिखाया गया है। आईएमएफ ने अर्थव्यवस्था में तेजी का कारण सकारात्मक नीति कार्यों को बताते हुए सकल घरेलु उत्पाद में चालू वर्ष में 7.2 प्रतिशत की तुलना में 2015-16 में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर अनुमानित की है जबकि भारत सरकार ने 2015-16 में 8.5 प्रतिशत का विकास परिकल्पित किया है।

वृहत् आर्थिक नीति बाधित निवेश चक्रों और अवसंरचना कमियों जैसे आपूर्ति अवरोधों का समाधान करने के लिए तैयार है। केंद्रीय बजट 2015-16 में घोषित उपायों में अन्य के साथ-साथ 20,000 करोड़ रुपए के वार्षिक परिणाम के साथ राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) की स्थापना और सड़कों तथा रेलवे के परिव्यय में तीव्र वृद्धि करना शामिल है। सार्वजनिक क्षेत्र बंदरगाह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनियां बन जाएंगे ताकि ये निवेशक आकर्षित कर सके और विशाल भूमि संसाधनों का लाभ उठा सकें। प्रत्येक में 4,000 मेगावाट की क्षमता वाली 5 नए अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन उपायों का उद्देश्य उत्पादन संभावनाओँ को आगे ले जाना है।

भारतीय कारपोरेट को बढावा देने और उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की कार्रवाई में कारपोरेट कर की दर वर्तमान 30% स्तर से घटा कर अगले 4 वर्षों में 25% की जानी है। इसके अलावा, संयुक्त अधिकतम सीमा का प्रावधान करके विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के बीच परस्पर लचीलेपन की अनुमति दी गई है। फारवर्ड मार्किट कमीशन को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के साथ विलय करने का प्रस्ताव है ताकि वस्तु फारवर्ड मार्किट का सुदृढ़ नियमन हो सकें। इन प्रयासों से बाजार में विश्वास स्थापित होने की आशा है।

“भारतीय कारपोरेट को बढावा देने और उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की कार्रवाई में कारपोरेट कर की दर वर्तमान 30% स्तर से घटा कर अगले 4 वर्षों में 25% की जानी है।”

शीर्ष स्तर की नियुक्तिः श्री नवेद मसूद, जो 1977 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, ने 38 वर्ष तक सरकारी सेवा करने के बाद दिनांक 28.02.2015 को अपनी सेवानिवृत्ति की आयु होने पर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के रूप में पदत्याग दिया। सुश्री अंजुलि चिब दुग्गल, जो 1981 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं, ने दिनांक 01.03.2015 से सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय का कार्यभार संभाला।

कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधनः शेयरधारकों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों के प्रत्युत्तर में मंत्रालय ने ऐसे 21 प्रावधानों में संशोधन करते हुए कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2014 प्रस्तुत किया था। दिनांक 17.12.2014 को लोकसभा में पारित होने के बाद यह विधेयक दिनांक 23.12.2014 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया।

आईएफआरएस-समाभिरूपित इंडएएस की अधिसूचनाः 2014-15 के बजट में घोषणा के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ समाभिरूपित भारतीय लेखांकन मानकों (इंडएएस) को भारतीय चार्टर्ड अकांउटेंट संस्थान (आईसीएआई) और राष्ट्रीय लेखांकन मानक संबंधी सलाहकार समिति (एनएसीएएस) के परामर्श से तैयार किए गए हैं। न्यूनतम परिवर्तनों के साथ 39 मानकों वाले इंडएएस ने व्यापार रिपोर्टिंग को वैश्विक मानको के करीब ला दिया है ताकि कंपनी लेखा विदेशों में भी समझे और तुलना किए जा सकें। इससे भारतीय कंपनियों में शेयर रखने वाले विदेशी नागरिकों की सहभागिता में मदद मिलने की आशा है।

निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार इंडएएस को प्रवृत्त करने वाले कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 दिनांक 16.02.2015 को अधिसूचित किए गए हैं:

(i) प्रथम चरणः सभी कंपनियो के लिए स्वैच्छिक आधार पर 01.04.2015 से;

(ii) दूसरा चरण - 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक के निवल मूल्य वाली सूचीबद्ध और असूचीबद्ध कंपनियों के लिए दिनांक 01.04.2016 से अनिवार्य आधार पर; और

(iii) तीसरा चरण - सभी सूचीबद्ध कंनपियों, और 250 करोड़ रुपए या उससे अधिक के निवल मूल्य वाली असूचीबद्ध कंपनियों के लिए दिनांक 01.04.2017 से अनिवार्य आधार पर।

ऊपर उल्लिखित कंपनियों की सहयोगी, अनुषंगी, संयुक्त उपक्रम और नियंत्री कंपनियां ऊपर्युक्त इंडएएस का सहकालिक आधार पर अनुपालन करेगी।

जहां तक बीमा और बैंकिंग क्षेत्र की कंपनियों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का संबंध है, एक अलग समय-सारणी अधिसूचित की जाएगी।

छोटी कंपनियां - 50 लाख रुपए से अनधिक की प्रदत्त शेयरपूंजी या 2 करोड़ रुपए से अनधिक के व्यापारावर्त वाली निजी सूचीबद्ध कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(85) के अधीन ''छोटी कंपनियों'' के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी छोटी कंपनियों को 'एकल व्यक्ति कंपनी' के समान ही कतिपय राहत/छूट दी जाती हैं। सरकार ने कंपनी (कठिनाईयां दूर करना) आदेश, 2015 (का.आ. 504(अ) तारीख 13.02.2015 देखें) द्वारा स्पष्ट किया है कि किसी छोटी कंपनी के लिए दोनों उपरी सीमाओं का पालन अनिवार्य है।

वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों द्वारा प्रतिभूतियों का अधिग्रहण - किसी अन्य कारपोरेट निकाय के प्रतिभूतियों का, प्रदत्त शेयरपूंजी, मुक्त निक्षेप और प्रतिभूति विनियम खाता से जुड़ी कतिपय सीमाओं से अधिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अधिग्रहण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(2)(ग) के अधीन निषेध है। धारा 186(11)(ख) के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और वैसी कंपनियों जिनका प्रधान व्यवसाय प्रतिभूतियों का अधिग्रहण है, को इस निषेध के प्रचालन से छूट प्रदान की गई है। सरकार ने बैंकिंग, बीमा और आवास ऋण कंपनियों को भी इस निषेध से छूट प्रदान की है जिससे वे व्यवसाय के अपने समान क्रम में प्रतिभूतियों का अधिग्रहण करने में समर्थ हो सकेंगे (का.आ. 504(अ) तारीख 13.02.2015 देखें)।

त्रुटिपूर्ण ई-प्ररूपों के संदर्भ में कंपनी रजिस्ट्रार को सूचना उपलब्ध कराना - यदि कोई कंपनी अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण ई-प्ररूप फाइल करती है तो कंपनी रजिस्ट्रार को ऐसी त्रुटि के सुधार हेतु नोटिस जारी करने और आगे सूचना मांगने का भी अधिकार है। कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित सूचना नए प्रारंभ किए गए ई-प्ररूप जीएनएल-4 (अधिसूचना संख्या सा.का.नि.122(2) तारीख 24.02.2015 द्वारा) का उपयोग करते हुए दिया जाएगा।

लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति संबंधी सूचना - कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के नियम 6(2) के अनुसार कंपनियों के लिए संबंधित बोर्ड बैठक के तीस दिनों के भीतर या वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के 180 दिनो की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो ई-प्ररूप सीआरए-2 दायर करते हुए केन्द्र सरकार को लागत लेखापरीक्षक की नियुक्ति की सूचना देना अपेक्षित है। चूंकि एमसीए वेबसाइट पर ई-प्ररूप सीआरए-2 को ई-फाइलिंग हेतु सक्रिय करने में कुछ समय लगा, अतः ई-प्ररूप सीआरए-2 को दायर करने की तारीख 31.03.2015 तक बढ़ाई गई है (सामान्य परिपत्र संख्या 02/2015 तारीख 11.02.2015)।

पोत साझा करने के समझौतों को ''प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते'' नहीं माना जाएगा - प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अधीन, उद्यमों या व्यक्तियों के मध्य ऐसे समझौतों पर निषेध है जिसका भारत में प्रतिस्पर्धा पर महत्वपूर्ण विपरीत प्रभाव हो या पड़ने की संभावना हो। पोत परिवहन उद्योग के मामले में, जो अग्रिम रूप से समय-सूची के विज्ञापन द्वारा भुगतान के विरूद्ध समुद्री परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, केन्द्रीय सरकार ने पोत साझा करने के समझौतों को अधिसूचना संख्या का.आ.354(अ) तारीख 05.02.2015 की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 3 के क्षेत्र से छूट देने का निर्णय लिया है। किंतु, ऐसे समझौतों में मूल्य नियत करने, क्षमता अथवा बिक्री सीमित करने या बाजारों अथवा ग्राहकों का आवंटन वाले व्यवहार शामिल नहीं होने चाहिए, इस पहलू की निगरानी पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा की जाएगी।

अनुसचिवीय लेखापरीक्षा पर आईसीएसआई क्षमतानिर्माण कार्यक्रम - 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक की प्रदत्त शेयरपूंजी या 250 करोड़ रुपए या उससे अधिक के व्यापारावर्त वाली सूचीबद्ध कंपनियो और सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अपने बोर्ड की रिपोर्ट के साथ अनुसचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट संलग्न करना अपेक्षित है। वित्त वर्ष 2014-15 से सचिव की लेखापरीक्षा रिपोर्ट किसी कंपनी सचिव द्वारा ई-प्ररूप एमआर-3 दिया जाना है। भारतीय सचिव कंपनी संस्थान (आईसीएसआई) अपने सदस्यों को इस संकल्पना, इसकी आवश्यकता और व्याप्ति के संबंध में शिक्षित करने के लिए तथा एक व्यावहारिक उत्पादन के साथ उनके क्षमतानिर्माण के लिए अनुसचिवीय लेखापरीक्षा पर सम्मेलन आयोजित करता है। अनुसचिवीय लेखापरीक्षा संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए इसकी वेबसाइट (www.icsi.edu) देखी जा सकती है।

निवेशक सुरक्षा और जागरूकता

क. तीन व्यावसायिक संस्थानों (अर्थात् भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान) के साथ मिलकर फरवरी, 2015 के दौरान देश के विभिन्न शहरों/नगरों में 39 निवेशक जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए गए।

ख. फरवरी, 2015 के अंत तक 3,468 कंपनियों ने निवेशको की अप्रदत्त और अदावाकृत राशियों से संबंधित सूचना iepf.gov.in वेबसाइट पर अपलोड की। सूचना के अनुसार इन कंपनियों के पास 4305.39 करोड़ रुपए अदावाकृत रखे थे। यह वेबसाइट कंपनियों के लिए पिछले सात वर्षों के दौरान निवेशकों की अदत्त और अदावी राशि, जो अभी निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि में हस्तांतरित का जानी है, जिससे निवेशक कंपनी से उक्त राशि का दावा कर सकें, का विवरण फाइल करने के लिए बनाई गई है।

कारपोरेट क्षेत्र की पुनरीक्षा

क. दिनांक 28.02.2015 तक, 14,52,243 कंपनियां, कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत की गई। इनमें से, 2,66,401 कंपनियां बंद कर दी गई, 5,276 कंपनियां परिसमापनाधीन हैं तथा 23,148 कंपनियों को रजिस्टर से हटाने की प्रक्रिया चल रही है। अब तक 151 कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के अनुसार निष्क्रय दर्जा दिया गया है। इसके अतिरिक्त कुल 1,39,507 कंपनियों ने पिछले तीन या अधिक क्रमिक वर्षों से अपनी वार्षिक विवरणी/तुलन-पत्र फाइल नहीं किया है, इसलिए सक्रिय कंपनी के रूप में नहीं मानी जाएगी। 10,17,576 सक्रिय कंपनियां हैं, जिसमें पूर्ववर्ती अठारह माहों में निगमित की गई (वार्षिक सांविधिक फाइलिंग के लिए बकाया नहीं) 1,13,269 कंपनियां भी शामिल हैं।

ख. फरवरी, 2015 के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 4037.04 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी के साथ कुल 6,138 कंपनियां पंजीकृत हुई, जिसमें 243 एकल व्यक्ति कंपनियां (ओपीसी) भी शामिल है। नई निगमित कंपनियों का वर्ग के आधार पर ब्यौरा निम्नलिखित हैः

कंपनी का प्रकार	फरवरी, 2015 में पंजीकृत कंपनियों की संख्या	कुल प्राधिकृत पूंजी (करोड़ रूपए मे)
(1)	(2)	(3)
शेयर द्वारा सीमित कंपनियां	6,115	4,030.95
जिनमें से		
(क) निजी	5,991	759.13
जिनमें से,		
एकल व्यक्ति कंपनियां	243	6.30
(ख) सार्वजनिक	124	3,271.82
गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां	21	0.08
जिनमें से,		
(क) निजी	16	0.08
(ख) सार्वजनिक	5	-
असीमित कंपनियां	2	6.01
जिनमें से,		
(क) निजी	2	6.01
(ख) सार्वजनिक		
कुल योग	6,138	4,037.04

ग. शेयर द्वारा सीमित आधार पर पंजीकृत कंपनियों के वर्ग के तहत फरवरी माह में अधिकतम संख्या में पंजीकरण दिल्ली (1,169) में हुए, जिसके बाद महाराष्ट्र (991) तथा उत्तर प्रदेश (640) में हुए। नयी पंजीकृत कंपनियों के आर्थिक गतिविधि-वार वर्गीकरण में ''बिजनेस सर्विसज'' (2767) सर्वोच्च स्थान पर है।

घ. फरवरी, 2015 के दौरान दो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) और तीन राज्य स्तर सार्वजनिक उद्यम (एसएलपीई) पंजीकृत किए गए। इन कंपनियों की कुल प्राधिकृत पूंजी 3016.55 करोड़ रूपए थी। कारपोरेट क्षेत्र के विकास के बारे में अधिक सांख्यिकी विवरण के लिए पाठक कृपया URL:mca.gov.in/MinistryV2/InformationBulletin.html पर 'कारपोरेट क्षेत्र की मासिक सूचना बुलेटिन' देखें।

हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए पुरस्कार - पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए दिनांक 18.02.2015 को गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किए गए। श्री किरण रिजीजू, माननीय गृह राज्यमंत्री ने हिंदी के प्रगमी प्रयोग में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रादेशिक निदेशक कार्यालय (पूर्व), कारपोरेट कार्य मंत्रालय को द्वितीय पुरस्कार दिया।

महत्वपूर्ण घटनाएं -

1. दिनांक 18.02.2015 को भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) की शासक मंडल की 23 वीं बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कारपोरेट कार्य मंत्रालय और आईआईसीए के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

2. ''व्यापार'' में भारत की वरियता सुधारने के लिए अपेक्षित वरिष्ठ उपायों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 10.02.2015 को आयोजित सचिव समिति की बैठक में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीतियों के क्रियान्वयन की उन्नत निगरानी हेतु उपाय सुझाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक का आयोजन दिनांक 23.02.2015 को शास्त्री भवन, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली में आयोजित की गई।

4. भारतीय कारपोरेट संस्थान (आईआईसीए) ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व और निरंतर शिक्षा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम तथा उद्यम संबंधित विकास को बढ़ावा देने के लिए भागीदारी स्थापित करने हेतु दिनांक 09.02.2015 को सेन्टर फार रेस्पोंसिबल बिजनेस, नई दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

5. आईआईसीए ने 10-12 फरवरी के दौरान आईआईसीए परिसर मानेसर में 'कंपनी अधिनियम, 2013: समस्याएं और चुनौनियां' विषय पर एक तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारत के कारपोरेट, बैंक और अन्य संस्थानों से 23 प्रतिभागियों नें हिस्सा लिया।

6. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों पर विशिष्ट जोर देते हुए भारत में दिवालिया कानूनी ढांचे पर दिनांक 27.02.2015 को आईआईसीए, मानेसर में पक्षकार परामर्श का आयोजन किया गया।

Design | Print | chandupress@gmail.com

Compiled and Published by: Research and Analysis Division, B-1 Wing, Second Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.
For further details on the contents of this Newsletter, Please visit website: www.mca.gov.in